2010:सीजी एच सी:8013-डी बी

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ:

माननीय श्री आई. एम. कुद्दुसी एवं

माननीय नवल किशोर अग्रवाल, न्यायाधीश

रिट अपील क्रं. 196/2008

अपीलकर्ता/ याचिकाकर्ता — बी.आर. मेश्राम

बनाम

प्रत्यर्थीगण — छ.ग.राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रं. **197/2008**

अपीलकर्ता/ याचिकाकर्ता — वी.के. वैद्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण — छ.ग. राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रं. **198/2008**

अपीलकर्ता/ याचिकाकर्ता — ए.के. कनेरिया

बनाम

प्रत्यर्थीगण — छ.ग. राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रं. **199/2008**

अपीलकर्ता/ सलीम खान
याचिकाकर्ता

बनाम

प्रत्यर्थीगण छ.ग.राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रं**. 200/2008**

प्रत्यर्थीगण जी.पी. देशमुख
याचिकाकर्ता

बनाम

प्रत्यर्थीगण छ.ग. राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रं. **201/2008**

अपीलकर्ता/ श्रीकांत देवांगन
याचिकाकर्ता

बनाम

प्रत्यर्थीगण छ.ग.राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रं. **211/2008**

अपीलकर्ताओं/ कौशलेन्द्र मिश्रा एवं अन्य
याचिकाकर्ताओं

बनाम

प्रत्यर्थीगण छ.ग.राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रं. **212/2008**

अपीलकर्ता/ कौशलेन्द्र मिश्रा
याचिकाकर्ता

बनाम

प्रत्यर्थीगण छ.ग.राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रं. **215/2008**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ताओं/ पूरन सिंह पटेल एवं अन्य
याचिकाकर्ताओं

बनाम

प्रत्यर्थीगण छ.ग.राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रं. **216/2008**

अपीलकर्ता/ डी.पी. भार्गव
याचिकाकर्ता

बनाम

प्रत्यर्थीगण छ.ग.राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रं. **228/2008**

अपीलकर्ता/ याचिकाकर्ता — अनिल कुमार तिवारी

बनाम

प्रत्यर्थीगण — छ.ग.राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रं. **229/2008**

अपीलकर्ताओं/ याचिकाकर्ताओं — हरिबाबू अहिरवार एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण — भारत संघ एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रं. **230/2008**

अपीलकर्ताओं/ याचिकाकर्ताओं — दीपक कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण — भारत संघ एवं अन्य

रिट अपील क्रं. **249/2008**

अपीलकर्ता/ याचिकाकर्ता — अनिल कुमार हजारी

बनाम

प्रत्यर्थीगण — छ.ग.राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रं. **252/2008**

अपीलकर्ता/ याचिकाकर्ता अनिल कुमार तिवारी

बनाम

प्रत्यर्थीगण छ.ग.राज्य एवं अन्य

एवं

रिट अपील क्रं. **265/2008**

अपीलकर्ता/ याचिकाकर्ता अनिल कुमार हजारी

बनाम

प्रत्यर्थीगण छ.ग.राज्य एवं अन्य

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विचारार्थ निर्णय

सही/-

न्यायाधीश

07/10/2010

माननीय न्यायाधीश श्री नवल किशोर अग्रवाल

मैं सहमत हूं |

सही/-

एन. के. अग्रवाल

न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक 08/10/2010 को सूचीबद्ध करें |

सही/-

आई. एम. कुद्दुसी

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ:

माननीय श्री आई. एम. कुद्दुसी एवं

माननीय नवल किशोर अग्रवाल, न्यायाधीश

रिट अपील क्रं. 196/2008

अपीलकर्ता/ याचिकाकर्ता	बी. आर. मेश्राम

बनाम

प्रत्यर्थीगण	छ.ग. राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रं. **197/2008**

अपीलकर्ता/ याचिकाकर्ता	वी.के. वैद्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण	छ.ग.राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रं. **198/2008**

अपीलकर्ता/ याचिकाकर्ता	ए.के. कनेरिया

बनाम

प्रत्यर्थीगण	छ.ग.राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रं. **199/2008**

अपीलकर्ता/ सलीम खान
याचिकाकर्ता

बनाम

प्रत्यर्थीगण छ.ग.राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रं. **200/2008**

अपीलकर्ता/ जी.पी. देशमुख
याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थीगण छ.ग. राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रं. **201/2008**

अपीलकर्ता/ श्रीकांत देवांगन
याचिकाकर्ता

बनाम

प्रत्यर्थीगण छ.ग.राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रं. **211/2008**

अपीलकर्ताओं/ कौशलेन्द्र मिश्रा एवं अन्य

याचिकाकर्ताओं

बनाम

प्रत्यर्थीगण छ.ग.राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रं. **212/2008**

अपीलकर्ता/ कौशलेन्द्र मिश्रा
याचिकाकर्ता

बनाम

प्रत्यर्थीगण छ.ग. राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रं. **215/2008**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ताओं/ पूरन सिंह पटेल एवं अन्य
याचिकाकर्ताओं

बनाम

प्रत्यर्थीगण छ.ग.राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रं. **216/2008**

अपीलकर्ता/ डी.पी. भार्गव
याचिकाकर्ता

बनाम

प्रत्यर्थीगण छ.ग.राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रं. **228/2008**

अपीलकर्ता/ याचिकाकर्ता	अनिल कुमार तिवारी

बनाम

प्रत्यर्थीगण छ.ग.राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रं. **229/2008**

अपीलकर्ताओं/ याचिकाकर्ताओं	हरिबाबू अहिरवार एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण भारत संघ एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रं. **230/2008**

अपीलकर्ताओं/ याचिकाकर्ताओं	दीपक कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण भारत संघ एवं अन्य

रिट अपील क्रं. **249/2008**

अपीलकर्ता/ याचिकाकर्ता	अनिल कुमार हजारी

बनाम

प्रत्यर्थीगण छ.ग.राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रं. **252/2008**

अपीलकर्ता/ याचिकाकर्ता — अनिल कुमार तिवारी

बनाम

प्रत्यर्थीगण — छ.ग.राज्य एवं अन्य

एवं

रिट अपील क्रं. **265/2008**

अपीलकर्ता/ याचिकाकर्ता — अनिल कुमार हजारी

बनाम

प्रत्यर्थीगण — छ.ग.राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

उपरोक्त रिट अपीलों में अपीलकर्ताओं के लिए श्री यू. एन. अवस्थी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री एम. के. सिन्हा, अधिवक्ता, श्री एन. के. व्यास, श्री सत्येन्द्र साहू, श्री अनूप मजूमदार, श्री मतीन सिद्दीकी, अधिवक्ता |

सभी रिट अपीलों में प्रत्यर्थी-छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री किशोर भादुड़ी |

सभी रिट अपील में प्रत्यर्थी-भारत संध की ओर से श्रीमती फौजिया मिर्जा, सहायक सॉलीसिटर जनरल |

निर्णय

(08/10/2010 को **सुनाया** गया)

<u>आई. एम. कुद्दुसी, न्यायाधीश:</u>

1. उपरोक्त रिट अपीलों का निपटारा इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है क्योंकि ये सभी रिट अपीलें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 04.08.2008 के सामान्य आदेश से उत्पन्न हुई हैं, जो रिट याचिकाओं के एक समूह में था, जिसका प्रमुख मामला रिट याचिका (सेवा) क्रं. 224/05 था, जिसमें याचिकाकर्ताओं/रिट अपीलकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार के पदोन्नति और वेतनमान के साथ उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता की मांग करने वाली रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।
2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 8.9.1982 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं/रिट अपीलकर्ताओं को अन्य अभ्यर्थियों के साथ तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य में सहायक मत्स्य अधिकारी के पद पर प्रशिक्षण हेतु चयनित किया गया था। अपीलकर्ताओं ने जुलाई, 1983 में अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। तत्पश्चात, निदेशालय, मत्स्य विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 7.10.1983 को सफल अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची प्रकाशित की गई और उक्त योग्यता सूची में से कुछ उम्मीदवारों को 'मत्स्य निरीक्षक' (संक्षेप में 'एफआई') के रूप में नियुक्त किया गया है और कुछ उम्मीदवारों के नाम, जिनमें याचिकाकर्ता/रिट अपीलकर्ता भी शामिल हैं, मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों (संक्षेप में 'एफएफडीए') को भेजे गए थे, जो कि सोसायटी पंजीयन अधिनियम, 1973 (संक्षेप में 'अधिकरण, 1973') के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत 'मत्स्य विस्तार कार्यकर्ता' (संक्षेप में 'एफईओ') के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का कार्य करने के लिए पंजीकृत एक सोसायटी है। दिनांक 26.12.1983 के आदेश के तहत संबंधित जिलों के सभी कलेक्टरों को रिट अपीलकर्ताओं सहित चयनित उम्मीदवारों को 'मत्स्य प्रसार अधिकारी' के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। यह स्पष्ट किया गया कि वरिष्ठता वर्ष 1983 में आयोजित प्रशिक्षण परीक्षा की योग्यता सूची के अनुसार होगी। तदनुसार, रिट अपीलकर्ताओं को दिनांक 20.6.1984 के आदेश एवं अन्य आदेशों के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तहत एफईओ के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद वे उसी पद पर काम करते रहे और मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद भी, सभी रिट अपीलकर्ता नए राज्य छत्तीसगढ़ में सेवा करते रहे।

3. दिनांक 11.5.2006 को राज्य सरकार द्वारा एफएफडीए में कार्यरत रिट अपीलकर्ताओं सहित कर्मचारियों की सेवाओं को सरकारी विभाग में इस शर्त के साथ संविलियन करने का नीतिगत निर्णय लिया गया था कि कर्मचारियों का वेतनमान उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी, लेकिन उनका भुगतान उनके संविलियन की तिथि से किया जाएगा। कर्मचारी वेतन के बकाया के हकदार नहीं होंगे। पेंशन संबंधी लाभों की गणना उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से की जाएगी। इसके अलावा, उनकी वरिष्ठता छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के प्रावधानों के तहत सरकारी कर्मचारी के रूप में उनके संविलियन की तिथि से निर्धारित की जाएगी। इसके बाद, उनकी वरिष्ठता निर्धारित की गई और दिनांक 16.5.2006 को एक सूची प्रकाशित की गई। प्रत्यर्थी राज्य की उक्त कार्यवाही से व्यथित अपीलकर्ताओं ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष विभिन्न रिट याचिकाएँ दायर की हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विद्वान एकल न्यायाधीश, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने तथा मामले के तथ्यों पर कानून के स्थापित सिद्धांतों को लागू करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रिट अपीलकर्ताओं द्वारा सामान्य पदक्रम सूची और तदनुसार पदोन्नति प्रदान करने के संबंध में उठाया गया विषय निराधार और सारहीन है और इसलिए एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।

5. रिट अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अवस्थी, ने तर्क दिया कि चयन और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद एक योग्यता सूची तैयार की गई थी और मत्स्य विभाग के निदेशक ने चयन और चयन की पद्धति अपनाई, जिससे कुछ अभ्यर्थियों को एफ एफ डी एस में भेजा गया और कुछ को मत्स्य विभाग में सरकारी सेवा में ले लिया गया, जबकि एफ एफ डी ए में भेजे गए योग्य व्यक्तियों के अधिकारों की अनदेखी की गई। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यद्यपिएफ एफ डी ए अधिनियम, 1973 के तहत पंजीकृत एक संस्था है, लेकिन यह राज्य का एक अंग है और इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि एफएफडीए के तहत सेवा सरकारी नहीं है। एफ एफ डी ए का एक अलग शासी निकाय है, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं और अन्य सरकारी अधिकारी इसके सदस्य हैं। दो मछली किसान भी शासी निकाय के

सदस्य हैं, जिन्हें कलेक्टर द्वारा नामित किया जाता है। अपीलकर्ता, जो एफएफडीए में नियुक्ति के आधार पर काम कर रहे थे, को दिनांक 22.3.2005 के प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 11.5.2006 के नीतिगत निर्णय द्वारा सरकारी विभाग में समाहित करने का निर्णय लिया गया था, हालांकि, यह निर्णय लिया गया है कि उनकी वरिष्ठता सरकारी कर्मचारी के रूप में उनके संविलियन की तारीख से निर्धारित की जाएगी न कि एफएफडीए में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से। जबकि, उन्हें सरकारी सेवा में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख के अनुसार दिया जाना चाहिए था और जो लोग सरकारी सेवा में रिट अपीलकर्ताओं के बाद नियुक्त हुए हैं उन्हें वरिष्ठता में उनसे नीचे रखा जाना चाहिए, भले ही सरकारी सेवा में उनका संविलियन वर्ष 2006 में किया गया हो।

6. उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में अपीलकर्ताओं ने यह समझा था कि उन्हें राज्य के मत्स्य विभाग में नियुक्त किया गया था, लेकिन गलती का पता कई वर्षों बाद चला जब उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एफईओ की क्रमशः दिनांक 8.10.1986, 26.10.1988 एवं दिनांक 14.6.1989 को प्रकाशित पदक्रम सूचियों में, दिनांक 1.4.1986, 1.4.1988 एवं दिनांक 1.4.1989 को, उनके कनिष्ठों के नाम, जिन्हें अपीलकर्ताओं के साथ चुना गया था, योग्यता के क्रम में पदक्रम सूची में शामिल किए गए थे, जिसमें अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों को शामिल नहीं किया गया था, जिन्हें एफएफडीए में उनके कई अभ्यावेदन दिनांक 19.12.1986, 17.3.1988, 31.12.1988, 12.1.1990 के बावजूद नियुक्त किया गया था। कलेक्टर, राजनांदगांव, जो एफएफडीए के पदेन अध्यक्ष थे, ने दिनांक 24.3.1988 को पत्र के माध्यम से नियमितीकरण के लिए निदेशक, मत्स्य विभाग को अनुशंसा की। जिसका उत्तर निदेशक, मत्स्य विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा दिनांक 7.4.1988 के अ.आ. पत्र द्वारा दिया गया, जिसमें उल्लेख किया गया था कि तत्कालीन सचिव, मत्स्य विभाग ने दिनांक 4.3.1987 को राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, जब विभागीय अधिकारियों द्वारा नवंबर, 1986 में आयोजित बैठक में यह मामला उठाया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे अनदेखा कर दिया और दिनांक 11.5.2006 तक कुछ नहीं किया, जब एफएफडीए में प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ देने से इनकार करने सहित कुछ शर्तें लगाते हुए संविलियन संबंधी आदेश पारित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया गया। अपने तर्कों के समर्थन में, श्री अवस्थी ने कुछ मामलों का हवाला दिया है जिन पर बाद में चर्चा की जाएगी।

7. राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री भादुड़ी, ने कहा है कि एक बार अपीलकर्ताओं ने बिना किसी विरोध के एफएफडीए में अपनी नियुक्ति स्वीकार कर ली, तो यह माना जाना चाहिए कि उन्होंने सरकारी विभाग में नियुक्ति का अपना दावा छोड़ दिया है। इसके अलावा, दिनांक 8.10.1986 को पहली बार प्रकाशित वरिष्ठता सूची मत्स्य विभाग के अधिकारियों से संबंधित थी, न कि एफएफडीए, राजनांदगांव के अधिकारियों/कर्मचारियों से, इसलिए उस वरिष्ठता सूची में उनके नाम रखने का सवाल ही नहीं उठता। इसके लगभग दो साल बाद दिनांक 2.10.1988 को एक और वरिष्ठता सूची प्रकाशित हुई और उसके बाद दिनांक 14.6.1989 को एक और वरिष्ठता सूची प्रकाशित हुई। यदि अपीलकर्ताओं ने सरकारी विभाग में अपने संविलियन के लिए दिनांक 8.10.1986 की वरिष्ठता सूची के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत किया होता, तो उन्हें दूसरी वरिष्ठता सूची प्रकाशित होने पर स्थानीय मंच से संपर्क करना चाहिए था और उनके अभ्यावेदन पर संविलियन के लिए विचार नहीं किया जाता। अपीलकर्ताओं के अनुसार, उनके द्वारा दिनांक 12.1.1990 को अंतिम अभ्यावेदन किया गया और उसके बाद वे चुप रहे और अंतिम अभ्यावेदन की तिथि से आठ वर्ष बाद, उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष ओ.ए.क्रं. 3372/98 के तहत मूल आवेदन दायर किया, जिसे बाद में इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जो एक समय बाधित याचिका थी। अब सरकार ने उन सभी को सरकारी सेवा में समाहित कर लिया है और उन्हें उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से सरकारी सेवक माना जा रहा है और उनके समाहित होने की तिथि से उन्हें केवल वरिष्ठता प्रदान की गई है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं को एफएफडीए में उनकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से सरकारी सेवक होने की अनुमति देना न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था, जिसका अर्थ है कि उन्होंने एफएफडीए में नियुक्ति स्वीकार करते हुए सरकारी सेवा में अपने अधिकार का त्याग कर दिया था जो उनके लिए अधिक सुविधाजनक रहा होगा क्योंकि वह एक जिला मत्स्य कृषक विकास एजेंसी

थी जिसके अध्यक्ष राजनांदगांव जिले के कलेक्टर थे और उनकी सेवाएं पूरे राजनांदगांव जिले में स्थानांतरित नहीं की जा सकती थी। जबकि, मत्स्य पालन विभाग की सेवाएँ पूरे राज्य में स्थानांतरणीय थीं। इसके अतिरिक्त, सभी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियुक्तियाँ मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन से पूर्व की गई थीं और दिनांक 01.11.2000 से नए छत्तीसगढ़ राज्य के पुनर्गठन और गठन के बाद, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दिनांक 1.5.2006 के शासकीय आदेश द्वारा उनकी सेवाओं को सरकारी विभाग में समाहित करने का निर्णय लिया।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, आक्षेपित आदेश और मामले के अभिलेखों का अवलोकन किया है।

9. रिट अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अवस्थी, ने **बलवंत सिंह नरवाल बनाम हरियाणा राज्य**[1], के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कण्डिका 9 एवं 10 में इस प्रकार कहा थाः

> "9. इन सामान्य सिद्धांतों के बारे में कोई विवाद नहीं है। लेकिन यहां सवाल वर्ष 1992-1993 की कुछ रिक्तियों के खिलाफ दिनांक 1.10.1993 को चुने गए प्रत्यर्थी 4 से 16 की वरिष्ठता के संबंध में है, जिन्हें मुकदमेबाजी के कारण नियुक्त नहीं कियागया था, और जो बाद की रिक्तियों के लिए चुने गए थे। दिनांक 1-10-1993 को घोषित उसी योग्यता सूची के अन्य सभी को दिनांक 2-6-1994 को नियुक्त किया गया था। इसी तरह की स्थिति पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने सुरेंद्र नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य में माना कि जिन उम्मीदवारों को पहले की रिक्तियों के लिए चुना गया था, लेकिन जो कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण उसी वर्ग के अन्य लोगों के साथ नियुक्त नहीं किए जा सके, जब बाद में नियुक्त किए जाते हैं तो उन्हें उन लोगों से ऊपर रखा जाना चाहिए जिन्हें बाद की रिक्तियों से उत्पन्न पद के लिए नियुक्त किया गया था।
>
> 10. इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी 4 से 16 की अपीलों को स्वीकार करते हुए दिनांक 6-12-1999 के आदेश द्वारा स्पष्ट किया कि आयोग द्वारा दिनांक 1-10-1993 की योग्यता सूची के अनुसार अनुशंसित सभी 30 व्यक्तियों, जिनमें प्रत्यर्थी 4 से 16 भी शामिल हैं, नियुक्ति के हकदार हैं। राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के दिनांक 4-4-1994 के आदेश के बिना, प्रत्यर्थी 4 से 16 की नियुक्ति दिनांक 2-6-1994 को ही

[1] (2008) 7 **एससीसी** 728.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हो गई होती। दिनांक 4-4-1994 के आदेश को इस न्यायालय ने अंततः अपास्त कर दिया और प्रत्यर्थी 4 से 16, जिन्हें परिणामस्वरूप नियुक्त किया गया था, को वरिष्ठता के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा उन्हें केवल काल्पनिक वरिष्ठता प्रदान करना और उन्हें सामान्य योग्यता सूची (दिनांक 1-10-1993 को प्रकाशित) में चयनित और दिनांक 2-6-1994 को नियुक्त अन्य 16 उम्मीदवारों से ठीक नीचे रखना उचित था। प्रत्यर्थी 4 से 16 को भूतकालिक वरिष्ठता उनके चयन की तिथि से नहीं दी गई है जैसा कि अपीलकर्ताओं ने गलत मान लिया था, बल्कि दिनांक 2.6.1994 से दी गई है जब उनकी योग्यता सूची में अन्य चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी।''

10. उपर्युक्त उद्धृत अनुच्छेदों के अवलोकन से पता चलता है कि जिन व्यक्तियों को नियुक्ति नहीं दी गई थी, उनकी समान योग्यता सूची से नियुक्ति का प्रश्न था और बाद में उन्हें बाद की रिक्तियों से उत्पन्न पद के विरुद्ध नियुक्तियाँ दी गई क्योंकि मुकदमेबाजी के कारण उन्हें पहले की रिक्तियों से उत्पन्न पद के विरुद्ध नियुक्त नहीं किया जा सका था। वर्तमान मामला तथ्यों के आधार पर उस मामले से भिन्न है क्योंकि वर्तमान मामले में व्यक्तियों की नियुक्ति समान योग्यता सूची से हुई थी और उन्हें मत्स्य विभाग और एफएफडीए में समान योग्यता सूची के आधार पर नियुक्ति दी गई थी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और वे सभी अपने-अपने विभागों में कार्यभार ग्रहण कर लिए। बाद में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मत्स्य विभाग में वरिष्ठता सूची प्रकाशित होने पर अपीलकर्ताओं ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और उसके बाद भी उन्होंने कई बार निरंतर वर्षों तक अभ्यावेदन दिए, लेकिन न्यायालय के समक्ष अपना प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया और उन्होंने मत्स्य विभाग के बजाय एफएफडीए में अपनी नियुक्ति का विरोध भी नहीं किया। इसलिए, सभी उद्देश्यों के लिए, जब वे एफएफडीए में खुशी-खुशी शामिल हुए, तो यह नहीं माना जा सकता कि उन्होंने मत्स्य विभाग में नियुक्ति के अपने अधिकार को हमेशा के लिए जीवित रख लिया । अपीलकर्ता अच्छी तरह जानते थे कि एफएफडीए एक पंजीकृत संस्था है जहाँ उन्हें नियुक्तियाँ दी गई थी और उनका नाम मत्स्य विभाग से संबंधित और सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची में नहीं दिखाया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. रिट अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अवस्थी, ने **पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य बनाम काबेरी खस्तागीर एवं अन्य**[2]के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का भी अवलंब लिया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत नियुक्त पर्यवेक्षकों की यह तर्क दिया है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी और सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के 75% पद योजना के प्रावधानों के अनुसार परियोजना के अंतर्गत कार्यरत महिला उम्मीदवारों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने चाहिए, और वे राज्य के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए उत्तरदाई नहीं थे, तर्क संगत नहीं है। यह मामला यहाँ अपीलकर्ताओं के मामले से बिल्कुल अलग है और इसलिए, हम यह नहीं समझ पाए कि उपर्युक्त मामले में प्रतिपादित सिद्धांत वर्तमान मामले में कैसे लागू होगा।

12. श्री भादुड़ी ने **सत्य नारायण एवं अन्य बनाम सतीश कुमार एवं अन्य**[3] के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि डीआरडीए नामक योजना के तहत भर्ती किए गए क्लर्क, जिन्हें बाद में वन विभाग में क्लर्क के रूप में समायोजित किया गया, उन्हें वन विभाग में पहले से नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ माना जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उन्होंने **पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम बलकरन सिंह**[4]के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अवलंब लिया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के अलावा यह माना था कि वर्ष 1993 में दायर वाद में किया गया प्रार्थना पत्र, वर्ष 1980 और वर्ष 1984 में प्रकाशित वरिष्ठता सूचियों को शून्य घोषित करवाने के लिए था। प्रथम दृष्टया, ऐसी घोषणा के लिये किया गया प्रार्थना पत्र सीमा अवधी से बाधित है। यह वादमौन स्वीकृति और विबंधन से बाधित है। किसी भी व्यक्ति सेवा में रहते हुए वरिष्ठता के प्रश्न को 12 वर्षो से अधिक समय तक लंबित नहीं रखना चाहिए और फिर न्यायालय में आकर ऐसी राहत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जिससे उन अनेक व्यक्तियों की वरिष्ठता प्रभावित हो, जिन्हें संबंधित वरिष्ठता सूचियों में वरिष्ट के रूप में दर्शाया गया है|

---

[2] 2009 ए.आई.आर. एस सी डब्ल्यू 905

[3](2001) 9 एससीसी 758

[4](2006) 12 एस सी सी 709

14. इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष 1983 में एफएफडीए में हुई थी, जो एक पंजीकृत संस्था थी, और इस प्रकार ये अपीलकर्ता सरकारी कर्मचारी नहीं थे, बल्कि संस्था के कर्मचारी थे। उन्हें दिनांक 11.5.2006 के आदेश द्वारा कुछ शर्तों के साथ सरकारी सेवा में संविलियित किया गया है। संविलियन का निर्णय लेना और संविलियन के लिए शर्तें निर्धारित करना कार्यपालिका का कार्य है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायिक पुर्नविलोकन का दायरा निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमी तक सीमित है, न कि निर्णय तक। इस दृष्टिकोण के लिए, हम **जयराजभाई जयतीभाई पटेल बनाम अनिलभाई नाथूभाई पटेल और अन्य**[5]के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं। जो निम्नानुसारः-

> "18. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि न्यायिक पुर्नविलोकन कीशक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रशासनिक निर्णय अतार्किक न हो या प्रक्रियात्मक अनुचितता से ग्रस्त न हो या यह न्यायालय की अंतरात्मा को इस अर्थ में आघात न पहुँचाए कि यह तर्क या नैतिक मान कों की अवहेलना करता हो, लेकिन कोई मानकीकृत सूत्र, जो सभी मामलों पर सार्वभौमिक रूप से लागू हो, विकसित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक मामले पर उसके अपने तथ्यों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए, जो शक्ति का प्रयोग करने वाले प्राधिकारी,शक्ति के स्रोत, प्रकृति या दायरे और कानून के संचालन में उसके द्वारा उत्पन्न अमिट प्रभावों या व्यक्ति या समाज को प्रभावित करने वाले कारकों परनिर्भर करता है......"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. **भारतीय रेलवे निर्माण कं. लिमि. बनाम अजय कुमार**[6]के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा है:-

> "**17**. इसमें निर्धारित सिद्धांतों के सार को संक्षेप में प्रस्तुत करने से पहले हम एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेज लिमि. बनाम वेडनसबरी

---

[5](2006) 8 एससीसी200

[6] (200**3**) **4** एससीसी **579**

कॉर्पोरेशन (केबी पृ.229: ऑल ईआर पृ. 682 एच-683 ए) में लॉर्ड ग्रीन के फैसले के अंश का उल्लेख करेंगे। यह इस प्रकार है:

> "यह सत्य है कि विवेकाधिकार का प्रयोग उचित ढंग से किया जाना चाहिए। अब इसका क्या अर्थ है? वैधानिक विवेक के उपयोग के संबंध में प्रयुक्त वाक्यांशों से परिचित वकील अक्सर 'अनुचित' शब्द का उपयोग व्यापक अर्थ में करते हैं। इसका अक्सर उपयोग किया गया है और किया जाता है एक सामान्य वर्णन के रूप में, उन चीजों के लिये जिन्हें नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति को विवेकाधिकार सौंपा गया है तब उसे विधि के अनुसार व्यवहार करना कानून में स्वयं को ठीक से निर्देशित करना चाहिए। उसे उन मामलों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जिन पर विचार करने के लिए वह बाध्य है। उसे अपने विचार से उन मामलों को अलग करना चाहिए जो उसके विचार करने के लिए अप्रासंगिक हैं। यदिवह उन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे वस्तव में ऐसा कहा जा सकता है, और अक्सर ऐसा कहा जाता है, कि वह 'अनुचित' कार्य कर रहा है। इसी तरह, कोई ऐसी बेतुकी बात हो सकती है कि कोई समझदार व्यक्ति स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि यह प्राधिकारी की शक्तियों के अंतर्गत आता है।... दूसरी ओर, वह उन तथ्यों पर विचार कर रहा है जो अप्रासंगिक है। यह अनुचित होगा यदि इसे लगभग बुरे इरादे से किया गया बताया जा सके; और वास्तव में, ये सभी चीजें एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं।"

लॉर्ड ग्रीन ने यह भी अवलोकन किया: (केबी पृ. 230: ऑलईआर पृ. 683 एफ-जी)

> "…. इसे इस अर्थ में अनुचित सिद्ध किया जाना चाहिए कि न्यायालय इसे ऐसा निर्णय मानता है जिस पर कोई भी विवेकशील संस्था नहीं पहुँच सकती। यह वह नहीं है जिसे न्यायालय अनुचित मानता है।... विधान का प्रभाव न्यायालय को एक दृष्टिकोण की दूसरे दृष्टिकोण पर शुद्धता का निर्णय लेने के मध्यस्थ के रूप में स्थापित करना नहीं है।"(बल दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों को वर्ष 1985 में लॉर्ड डिप्लॉक ने सीसीएसयू प्रकरण[2] में अवैद्यता, प्रक्रियात्मक अनुचितता और तर्कहीनता के रूप में संक्षेपित किया था। उन्होंने कहा कि भविष्य में और भी आधार उपलब्ध हो सकते हैं, जिनमें आनुपातिकता का सिद्धांत भी शामिल है, जिसका पालन यूरोपीय आर्थिक समुदाय के कुछ अन्य सदस्यों द्वारा किया गया था। लॉर्ड डिप्लॉक ने उस मामले में निम्नलिखित अवलोकन किया:(ऑल ईआर पृ. 950 एच-आई)

"मैं समझता हूँ कि न्यायिक पुर्नविलोकन आज उस स्तर तक विकसित हो गई है जहाँ, विकास के चरणों का विश्लेषण दोहराए बिना ही, कोई भी व्यक्ति उन आधारों को आसानी से तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है जिनके आधार पर प्रशासनिक कार्यवाही न्यायिक पुर्नविलोकन के नियंत्रण के अधीन है। पहला आधार जिसे मैं 'अवैधानिकता' कहूँगा, दूसरा 'अतार्किकता' और तीसरा 'प्रक्रियात्मक' अनुचितता'। इसका यह अर्थ नहीं है कि मामला-दर-मामला आधार पर आगे की प्रगति समय के साथ और आधार नहीं जोड़ेगी। मेरे मन में विशेष रूप से भविष्य में 'आनुपातिकता' के सिद्धांत को अपनाने की संभावना है, जिसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय के हमारे कई साथी सदस्यों के प्रशासनिक कानून में मान्यता प्राप्त है;"।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लॉर्ड डिप्लॉक ने "अतार्किकता" की व्याख्या इस प्रकार की है: (ऑल ईआर पृ. 951 ए-बी)"

'अतार्किकता' से मेरा तात्पर्य उस बात से है जिसे अब संक्षेप में 'वेडनसबरी अनुचितता' कहा जा सकता है। यह ऐसे निर्णय पर लागू होता है जो तर्क या स्वीकृत नैतिक मानकों की इतनी अवहेलना करता है कि कोई भी समझदार व्यक्ति, जिसने निर्णय किए जाने वाले प्रश्न पर अपना दिमाग लगाया हो, उस पर नहीं पहुंच सकता।"

20.दूसरे शब्दों में, प्रशासक के निर्णय को "अतार्किक" घोषित करने के लिए न्यायालय को, इस तथ्य के आधार पर, यह मानना होगा कि यह निर्णय "इतना अपमान जनक" है कि यह तर्क या नैतिक मानकों

की पूर्ण अवहेलना करता है। प्रशासनिक कानून में "आनुपातिकता" को अपनाना भविष्य के लिए छोड़ दिया गया था।

21.इन सिद्धांतों को भारत संघ बनाम जी. गणयुथम के मामले में उपर्युक्त शब्दों में उल्लेखित किया गया है। संक्षेप में, परीक्षण यह देखने के लिए है कि क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई कमी है, न कि स्वयं निर्णय में।"

16. **गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लिमि. एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य**[7]के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित कहा है:-

"50. प्रशासनिक मामलों में न्यायिक पुर्नविलोकन करते समय न्यायिक संयम बरतना चाहिए। जहाँ अप्रासंगिक पहलुओं पर विचार नहीं किया गया हो और किसी भी प्रासंगिक पहलू की अनदेखी नहीं की गई हो और जब प्रशासनिक निर्णयों का अभिलेख पर मौजूद तथ्यों से स्पष्ट संबंघ होता है तो हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं रहती। न्यायालय का कर्तव्य है (क) स्वयं को वैद्यता के प्रश्न तक सीमित रखना; (ख) यह तय करना कि क्या निर्णय लेने वाले प्राधिकारी ने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है; (ग) कोई कानूनी त्रुटि की है;(घ) प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया है; और (ङ) ऐसा निर्णय लिया है जिस पर कोई भी उचित न्यायाधिकरण नहीं पहुँचता; या (च) अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। प्रशासनिक कार्यवाही निम्नलिखित तरीके से न्यायिक पुर्नविलोकन द्वारा नियंत्रित होती है:

(i) अवैधानिकता- इसका अर्थ है कि निर्णय कर्ता को उस कानून को सही ढंग से समझना चाहिए जो उसकी निर्णय लेने की शक्ति को नियंत्रित करता है और उसे लागू करना चाहिए।

(ii) अतार्किकता, अर्थात्, वेडनसबरी अनुचितता,

(iii) प्रक्रियात्मक अनुचितता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[7](2006) 10 एससीसी 645

17. **लेकर एयरवेज़ लिमि. बनाम व्यापार विभाग**[8]के मामले में, कार्यपालिका के नीतिगत निर्णयों से जुड़े मामलों में न्यायिक पुर्नविलोकन के मानदंडों पर विचार करने के बाद, लॉर्ड लॉटन ने कहा: "यूनाइटेड किंगडम में विमानन नीति संसद द्वारा निर्धारित कानूनी ढाँचे के भीतर मंत्रियों द्वारा निर्धारित की जाती है। न्यायाधीशों का नीति-निर्माण या नीति के क्रियान्वयन से कोई लेना-देना नहीं होता। उनका कार्य यह तय करना है कि किसी मंत्री ने क़ानून या सामान्य कानून द्वारा उसे दी गई शक्तियों के भीतर काम किया है या नहीं। यदि किसी मंत्री को, विधि की उचित प्रक्रिया के बाद, न्यायालय द्वारा उसकी शक्तियों के बाहर काम करने का दोषी घोषित किया जाता है, तो उसे तब तक अपना काम बंद कर देना चाहिए जब तक कि संसद उसे आवश्यक शक्तियाँ प्रदान न कर दे। ऐसे मामले में मैं स्वयं को एक रेफरी मानता हूँ। जब गेंद खेल से बाहर हो जाती है, तो मैं अपनी न्यायिक सीटी बजा सकता हूँ; लेकिन जब खेल फिर से शुरू होता है तो, मुझे न तो उसमें भाग लेना चाहिए और न ही खिलाड़ियों को यह बताना चाहिए कि कैसे खेलना है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अर्थात् अपीलकर्ताओं ने उचित समय पर न्यायालय से संपर्क नहीं किया था और उन्होंने अपना मूल आवेदन वर्ष 1993 में प्रस्तुत किया था, अर्थात् उस तिथि से लगभग 10 वर्ष बीत जाने के बाद जब अपीलकर्ताओं ने बिना किसी विरोध के एफ एफ डी ए में अपनी नियुक्ति स्वीकार कर ली थी, इसलिए मत्स्य विभाग के बजाय एफ एफ डी ए में उनकी नियुक्ति के प्रश्न पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है।

19. अर्थात् प्रत्यर्थीगण की कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपर्युक्त किसी भी श्रेणी में नहीं आती है, इसलिए इस माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक पुर्नविलोकन की कोई गुंजाइश नहीं है।

20. उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, इस न्यायालय की राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है जिसके लिए अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

[8] (1977) 2 एआईआईईआर **182**

21. परिणामस्वरूप, रिट अपीलों में कोई सार नहीं है, ये खारिज किये जाने योग्य हैं और इन्हें एत द्वारा खारिज किया जाता है। व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं किया गया है |

सही/-
आई.एम.कुद्दुसी
न्यायाधीश

सही/-
एन. के. अग्रवाल
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By : GUDIA BAGGA

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur